संघे शक्ति सर्वदा सत्यमेव जयते लेखपाल संघ जिन्दाबाद

उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ

पंजी0 संख्या : 75-4/II-A/359, 14 नवम्बर 1962

प्रधान कार्यालय : सुजानपुरा, ओम नगर रोड, आलमबाग बस अड्डे के सामने, लखनऊ - 226005
web.www.lekhpal.wordpress.com
Email : lekhpal.up@gmail.com

राम मूरत यादव
प्रदेश अध्यक्ष
+91-9456225600
पत्राचार-मो-शिवदयाल कमाउन्ड निकट - आई.टी.सी.सहारनपुर 247001 (उ0प्र0)

विनोद कुमार कश्यप
प्रदेश महामंत्री
+91-9760398504
पत्राचार-36 ग्रीन सिटी, रूड़की रोड, निकट छटी वाहिनी पी.ए.सी., मेरठ (उ.प्र.)

उपाध्यक्षगण

सुदेश कुमार
(पश्चिमी जोन)
मो. 9758547258

भूपेन्द्र सिंह
(मध्य जोन)
मो. 9198895639

धनंजय कुमार श्रीवास्तव
(पूर्वी जोन)
मो. 9005376263

संगठन मंत्रीगण

नीरज कुमार राठौर
(पश्चिमी जोन)
मो. 9936201234

मनीष कुमार पाठक
(मध्य जोन)
मो. 9454449099

करूणेश सिंह
(पूर्वी जोन)
मो. 8874060600

कोषाध्यक्ष

सुजीत सिकन्दर
मो. 9415607229

लेखा परीक्षक

शमशेर सिंह
मो. 8168037301

पत्रांक 68/2024 दिनांक 26.11.2024

सेवा में,
मा0 आयुक्त एवं सचिव महोदया,
राजस्व परिषद, उ0प्र0

विषय:—लेखपाल सेवा नियमावली के नियम 26 में प्रावधानित अव्यवहारिक व्यवस्था प्रभावी न करने विषयक।

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 25 नवम्बर 2024 का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें जिसमें उ0प्र0 लेखपाल सेवा नियमावली 2006 के नियम 26 में प्राविधानित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश निर्गत किये गये हैं।

उ0प्र0 लेखपाल सेवा नियमावली 2006 के नियम 26 एवं उ0प्र0 भूमि लेख नियमावली के प्रस्तर 538 में लेखपाल का हल्के में निवास का प्रावधान है।

उ0प्र0 लेखपाल सेवा नियमावली 2006 का नियम 26 – "लेखपाल अपने हल्का के भीतर निवास करेगा, जब तक कि उसने अपने निवास से बाहर रहने की अनुज्ञा कलेक्टर से प्राप्त न कर ली हो।"

उ0प्र0 भूमि लेख नियमावली का परिच्छेद 538(1)–"यह कहने की कदाचित ही आवश्यकता है कि लेखपालों के उनके हल्के में न रहने से अभिलेखों के समुचित रखरखाव के न होने का भय रहता है। अतः कलेक्टर का यह प्रमुख कर्तव्य है कि वह यह देखे कि उसके जिले में परिच्छेद 13 में उल्लिखित निवास स्थान के आभार का प्रवर्तन कठोरता से किया जाता है।

उ0प्र0 भूमि लेख नियमावली का परिच्छेद 542– लेखपाल को हल्के में निवास से छूट निम्नलिखित एक या अधिक आधारों पर मिल सकती है–

(क) स्वास्थ्य को गंभीर हानि पहुँचाये बिना उस हल्के में कोई ऐसा स्थान नहीं है जो वर्ष भर रहने योग्य हो।
(ख) यदि हल्के में लेखपाल के निवास के लिए कोई भी उपयुक्त बसा हुआ स्थल नहीं है।
(ग) यदि हल्के के बाहर के स्थल से हल्के के समस्त गांवों तक पहुंच उतनी ही सुविधाजनक है जितनी उसके अन्तर्गत किसी स्थल से।
(घ) यदि किन्ही विशेष परिस्थितियों के कारण जो हल्के को प्रभावित करती हो।

(P.T.O.)

Scanned with OKEN Scanner

उ0प्र0 भूमि लेख नियमावली भाग 1 अध्याय 1– पैरा 1 से 20 निरस्त। (अर्थात परिच्छेद 13 जिसमें लेखपाल निवास का प्रावधान था निरस्त किया जा चुका है)

उ0प्र0 भूमि लेख नियमावली भाग 1 अध्याय 2– **लेखपालों के कर्तव्य– नोट "लेखपालों को इन नियमों या किन्ही अन्य नियमों या अधिनियमों में उल्लिखित किसी प्रकार के कार्य अथवा कर्तव्यों के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य या कर्तव्य पर, भूमि अभिलेख के निदेशक की स्वीकृति के बिना नियुक्त नहीं किया जायेगा।**

उ0प्र0 भूमि लेख नियमावली का परिच्छेद 524– **बाह्य कार्यों पर रोक– कर्मचारियों को ऐसे कामों पर लगाने से जो इन नियमों में न आते हों, भू अभिलेखों की काफी क्षति हो सकती है।**

उ0प्र0 भूमि लेख नियमावली का परिच्छेद 21–**तहसील में उपस्थिति–(क)**– तहसीलदार द्वारा नियत किए गये दिनांक पर **लेखपाल प्रतिमास तहसील में उपस्थित होगा।** अपनी उपस्थिति के अवसर पर अपना वेतन, जो उसे प्राप्य हो, प्राप्त करेगा और **ऐसे प्रतिवेदन (रिपोर्ट) प्रस्तुत करेगा जो अपेक्षित हो।**

महोदय उ0प्र0 भूमि लेख नियमावली के परिच्छेद 538(1) से स्पष्ट है कि लेखपालों का हल्के में निवास की व्यवस्था तत्समय की परिस्थितियों के अनुसार अभिलेखों के समुचित रखरखाव के दृष्टिगत की गयी थी। वर्तमान में समस्त राजस्व अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण किया जा चुका है। जिसका रखरखाव केन्द्रीकृत प्रणाली के द्वारा कम्प्यूटर में किया जाता है। इसके अतिरिक्त यह भी संज्ञान में लाना है कि हल्के में निवास स्थान का प्रावधान भूमि लेख नियमावली के परिच्छेद 13 में किया गया था। वर्तमान में उक्त परिच्छेद 13 अस्तित्व में नहीं है।

महोदय स्वयं भिज्ञ हैं कि वर्तमान परिवेश में ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम प्रधान अथवा किसी अन्य ग्रामवासी के आवास पर लेखपाल का रात्रि निवास न तो उसके स्वास्थ्य /जीवन सुरक्षा की दृष्टि से उचित है और न ही जनसामान्य की दृष्टि से निष्पक्षता एवं विश्वसनीयता, पारदर्शी बने रहने के दृष्टिगत ही उचित है।

वर्तमान में 20 प्रतिशत महिला लेखपाल भी सेवा में कार्यरत हैं। अवैध कब्जा हटाये जाने अथवा अन्य भूमि सम्बन्धी विवादों के कारण असंतुष्ट पक्ष के द्वारा लेखपालों के ऊपर विविध प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाये जाने, मिथ्या 156(3) की कार्यवाही एवं मारपीट की घटनाएं प्रायः प्रकाश में आती रहती है। ऐसी स्थिति में गांव में निजी आवासों में लेखपालों के रात्रि निवास के कारण उन पर राजनैतिक हस्तक्षेप एवं पक्षपात के आरोप लगना स्वाभाविक है।

उपरोक्त समस्याओं पर विचार करते हुए मा0 परिषद में 1998 में लेखपालों के आवास बनाने हेतु भूमि चिन्हित करने के निर्देश समस्त जिलाधिकारियों को निर्गत किये गये थे किन्तु आज तक भूमि का चिन्हांकन/ आरक्षण नहीं हो सका है। इसके अतिरिक्त मा0 परिषद के द्वारा उपयुक्त एवं सुरक्षित स्थानों पर लेखपालों के आवास बनाने हेतु मा0 परिषद के पत्र संख्या 1987/12(भवन)–83/2017 दिनांक 27 दिसम्बर 2017 के द्वारा शासन से बजट की मांग की गयी थी किन्तु आज तक कोई बजट आवंटित नहीं हो सका है।

उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या 859/1–9–09–रा0–9 दिनांक 28 फरवरी 2009 के द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को निर्देश निर्गत किये गये कि **"उ0प्र0 भूमि लेख नियमावली के परिच्छेद 542 में अन्तर्निहित दिशानिर्देशों के अनुसार व्यवहारिक दृष्टिकोण से छूट प्रदान करने तथा यह सुनिश्चित करने कि हल्के में निवास करने सम्बन्धी प्रावधानों को लेकर लेखपालों का अनावश्यक उत्पीड़न न हो"**

(P.T.O)

Scanned with OKEN Scanner

अतः महोदया से निवेदन है कि उपरोक्त तथ्यों, नियमों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत जब तक लेखपालों के स्वास्थ्य/जीवन के सुरक्षा के दृष्टिगत उपयुक्त सरकारी आवास उपलब्ध न करा दिया जाये तथा लेखपालों की सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था (यथा लेखपालों के साथ मारपीट आदि की घटना पर 07 वर्ष से अधिक सजा का प्रावधान, राजस्व एवं पुलिस नियमों /अधिनियमों में करना तथा आवश्यकतानुसार शस्त्र लाईसेन्स उपलब्ध कराना) सुसंगत नियमों /अधिनियमों में प्रावधानित न करा दी जाए तब तक लेखपाल सेवा नियमावली के नियम 26 में प्रावधानित अव्यवहारिक व्यवस्था प्रभावी न की जाए।

संस्था महोदय की आभारी रहेगी।

विनोद कुमार कश्यप
प्रदेश महामंत्री

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित–

1. मा0 मुख्य सचिव महोदय, उ0प्र0 शासन।
2. मा0 अध्यक्ष महोदय, राजस्व परिषद उ0प्र0।
3. मा0 प्रमुख सचिव राजस्व महोदय, उ0प्र0 शासन।
4. समस्त जिलाधिकारी महोदय, उ0प्र0।
5. मा0 प्रदेश अध्यक्ष महोदय, उ0प्र0 लेखपाल संघ।
6. समस्त तहसील एवं जनपद पदाधिकारी उ0प्र0 लेखपाल संघ।

विनोद कुमार कश्यप
प्रदेश महामंत्री

Scanned with OKEN Scanner

अतः महोदया से निवेदन है कि उपरोक्त तथ्यों, नियमों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत जब तक लेखपालों के स्वास्थ्य/जीवन के सुरक्षा के दृष्टिगत उपयुक्त सरकारी आवास उपलब्ध न करा दिया जाये तथा लेखपालों की सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था (यथा लेखपालों के साथ मारपीट आदि की घटना पर 07 वर्ष से अधिक सजा का प्रावधान, राजस्व एवं पुलिस नियमों /अधिनियमों में करना तथा आवश्यकतानुसार शस्त्र लाईसेन्स उपलब्ध कराना) सुसंगत नियमों /अधिनियमों में प्रावधानित न करा दी जाए तब तक लेखपाल सेवा नियमावली के नियम 26 में प्रावधानित अव्यवहारिक व्यवस्था प्रभावी न की जाए।

संस्था महोदय की आभारी रहेगी।

विनोद कुमार कश्यप
प्रदेश महामंत्री

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित–

1. मा0 मुख्य सचिव महोदय, उ0प्र0 शासन।
2. मा0 अध्यक्ष महोदय, राजस्व परिषद उ0प्र0।
3. मा0 प्रमुख सचिव राजस्व महोदय, उ0प्र0 शासन।
4. समस्त जिलाधिकारी महोदय, उ0प्र0।
5. मा0 प्रदेश अध्यक्ष महोदय, उ0प्र0 लेखपाल संघ।
6. समस्त तहसील एवं जनपद पदाधिकारी उ0प्र0 लेखपाल संघ।

विनोद कुमार कश्यप
प्रदेश महामंत्री

Scanned with OKEN Scanner